

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : F9(4)/A.Y.2025-26/Scholarship/06732-6850525 PF9 9311420 दिनांक : ई हस्ताक्षरित

आदेश

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विद्यार्थी हित में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए आदेश राजकाज क्रमांक 18748429 दिनांक 12.11.2025 में आंशिक संशोधन कर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु अन्तिम दिनांक 15 सितम्बर 2026 एवं विभागीय आदेश राजकाज क्रमांक 23144111 दिनांक 08.07.2026 में आंशिक संशोधन कर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु अन्तिम दिनांक 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की जाती है।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

सक्षम स्तर से अनुमोदित

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F9(4)/A.Y.2025-26/Scholarship/06732-6850525 PF9 9311420 दिनांक : ई हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राज/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त..।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
9. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
10. प्रधानाचार्य राज. पॉलीटेक्निक महा/ राज. वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त..।
11. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
12. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई. टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवाने तथा बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
14. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
16. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त)....।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव